6.4.3

FEE POLICY

प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन अधिनियम–2006 के अन्तर्गत
उ0प्र0 निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था
(प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली–2015
प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या– 06 /प्र0फी0नि0स0/2017
लखनऊः दिनांक 06 अप्रैल, 2017

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या–598/2016 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2016 के अनुपालन में समिति द्वारा लिया गया निर्णय।

अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कालेज, गाजियाबाद (कोड–027) सस्था में चल रहे बी0टेक0, एम0टेक0 एवं एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारण आदेश संख्या–321/प्र0फी0नि0स0/2013 दिनांक 26 अगस्त, 2013 के द्वारा शैक्षिक सत्र 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के लिए रू0 97100.00 निर्धारित किया गया था।

2. तत्पश्चात शासन के पत्रांक संख्या–2491/सोलह–1–2015–14(44)/2015 दिनांक 22 जून, 2016 द्वारा शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क ही लागू किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

3. संस्था द्वारा उपरोक्त शासन द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 22 जून, 2016 के विरूद्ध एवं शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने के सम्बंध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–32744/2016 योजित की गयी थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2016 के विरूद्ध मा0 न्यायालय में समिति की ओर से विशेष अपील संख्या–598/2016 योजित की गयी थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2016 को सुनवाई के पश्चात मा0 न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 20.08.2016 को निरस्त करते हुए जो आदेश पारित किये गये, का क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैः–

"..............In the circumstances, we dispose of this special appeal by the following order: The appellant-Committee shall fix the fee for the academic sessions 2017-18, 2018-19 and 2019-20, as expeditiously as possible and preferably within a period of six months from today. It is made clear that under no circumstance, shall the appellant-Committee seek extension of time. It is needless to mention that the respondent-institution shall cooperate in fixation of fee within the stipulated time. The respondent institution, under any circumstances, shall not demand anything more that what has been paid by the students for the year 2016-17. It is open for them to charge fee that will be fixed for the academic years 2017-

18, 2018-19 and 2019-20 from the students, including the students admitted for this academic year (2016-17) from the next year.

While making this observation, we shall not be understood to have expressed any opinion on the rights of the students. In view of this order, the impugned judgment renders ineffective, insofar as the respondent-institution (writ petitioners) are concerned. ...."

4. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं फीस का नियतन) विनियमावली–2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार समिति के आदेश संख्या–115/प्रफीनिस/2016 दिनांक 07 नवम्बर, 2016 द्वारा निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया गया है:–

स्मूह	पाठ्यकम का नाम	मानक शुल्क रू0
एक	बी0टेक, बीआर्क, बी0फार्मा, बी0एफ0ए0, बी0एफ0ए0डी0,	55000.00
छो	बी0एच0एम0सी0टी0,	73000.00
तिन	एम0बी0ए0 / एम0सी0ए0 / एम0टेक0 / एम0फार्मा0 / एम0आर्च0	58000.00

उक्त आदेश में ऐसी संस्थाओं को जो समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती है उन्हे अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, लेखा विवरण एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित समिति की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करते हुए उसकी एक प्रति समिति कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में प्रश्नगत संस्थान द्वारा दिनांक 13.12.2016 को अपना प्रस्ताव/लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए शैक्षिक सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5. संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं विनियमावली–2015 में दिये गये प्राविधानानुसार संस्थान के प्रतिनिधियों को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 22.03.2017 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। संस्थान की ओर से श्री राकेश गर्ग, सचिव, डा0 आर0के0 अग्रवाल, निदेशक, श्री टी0एस0 खत्री, एकाउण्टेन्ट ने प्रतिभाग किया गया। संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा सुनवाई के समय अवगत कराया गया कि संस्थान में बी0टेक0, एम0टेक0 एवं एम0सी0ए पाठ्यकम संचालित हैं। वर्तमान में छात्रों से रू0 97,100.00 शुल्क लिया जा रहा है जिसे बढ़ाकर रू0 1,75,000.00 किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. समिति द्वारा संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को सुना गया एवं विनियमावली 2015 में दिये गये प्राविधानो के अनुसार निम्नवत् को संज्ञान में लेते हुए शुल्क निर्धारण हेतु विचार किया गयाः–

(i) **<u>डेप्रीसिएशन पर व्ययभारः–</u>**

शैक्षिक संस्थान की स्थापना दीर्घ कालीन समय के लिए बिना किसी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार स्थापित संस्थाओं में आयकर के भुगतान का प्रभारण निहित नही है। अतएव् परिसम्पत्तियों पर ह्रास की गणना के लिए भी आयकर प्रभारण का उद्देश्य निहित नही है। चूँकि शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना में लाभ का उद्देश न होने के कारण आयकर प्रभारण की गणना अपेक्षित नही है। अतः डब्लू0डी0वी0 अथवा एस0एल0एम0 दोनों पद्धतियों से संस्था के संचालन हेतु कैश फ्लो पर प्रभाव नही पड़ता है। इसका एक मात्र प्रभाव इस व्यय को आधार बनाकर फीस निर्धारण में किया जा सकता है। संस्था द्वारा सृजित की गयी अवसंरचनाओं का पूर्ण लाभ एवं उपयोग दूरगामी वर्षो तक समान रूप से उपलब्ध रहता है। इसलिए शुल्क निर्धारण के उद्देश्य से कतिपय संस्थाओं की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यदि उनकी परिसम्पत्तियों पर डब्लू0डी0वी0 (रिटन डाउन वैल्यू) पद्धति से ह्रास मूल्य दिया जाता है तो पहले के वर्षो में अधिक शुल्क और उसके बाद के वर्षो के शुल्क की राशि कम करने का औचित्य बनेगा। इस प्रकार संस्थाओं में स्थापित परिसम्पत्तियों पर छात्रों को समान लाभ की उपलब्धता बनाये रखने में संस्थाओं की परिसम्पत्तियों पर स्टेट लाइन पद्धति के अनुसार डेप्रीशिएसन ग्रेजुएटेड रूप में देना औचित्यपूर्ण पाया गया है। विनियमावली–2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्थाओं के शुल्क निर्धारण प्रकिया में कम्पनी एक्ट–1956 में वर्णित स्टेट एण्ड पद्यति का उपयोग किया गया है।

(ii) **<u>विज्ञापन पर व्ययभार</u>**

शैक्षिक संस्थानों में समय–समय पर आवश्यकतानुसार शैक्षिक/गैर शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति एवं छात्रों को नये सत्र में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी आदि देने के लिए अथवा संस्था परिसर में किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराने या प्रयोगशालाओं के लिए सामग्री आदि क्रय करने के लिए प्रायः विज्ञापन दिये जाते है। इसके अतिरिक्त कुछ शैक्षिक संस्थाये अपने संस्थान की उपलब्धियों के विषय में समय–समय पर बहुमूल्य पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रेडियों एवं टीवी के माध्यम से सजावटी विज्ञापन कर प्रचार–प्रसार कराते है या कभी–कभी कतिपय संस्थान विशेष इवेन्टस को एस्पोंसर्ड कराने में अधिक धनराशि व्यय करते है। ज्ञातव्य है कि संस्थाओं के संचालन हेतु आवश्यक मदों के अन्तर्गत व्यय हुई धनराशि को संज्ञान में लिया जाना आवश्यक है, जिसमें प्रवेश सूचना, स्टाफ की आवश्यकता, निर्माण कार्य अथवा सामग्री क्रय के लिए टेण्डर आदि के आवश्यक मदों में ही कार्य संचालन के उद्देश्य से विज्ञापन आवश्यक है। विनियमावली–2015 में दिये गये प्राविधान के अनुसार शुल्क के निर्धारण में आवश्यक एवं मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विज्ञापनों के लिए वार्षिक व्यय के मद में संस्था के

कुल व्यय का अधिकतम् एक प्रतिशत धनराशि को शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया है।

(iii) **वेतनमद पर व्ययभार**

संस्थाओं में छात्रों के शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों स्टाफ के वेतन की धनराशि व्यय के एक मुख्य मद के रूप में निहित होती है। संस्थाओं द्वारा चूकि अभातशिप के नार्मस के अनुसार स्टाफ की व्यवस्था की जाती है, अतएव् संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए अभातशिप के नार्मस के अनुसार वेतनमद में धनराशि के व्यय का आंकलन कर रेगुलेट करते हुए व्यय की सीमा के अन्तर्गत अनुमन्य किया गया है। उक्त धनराशि के सत्यापन हेतु नियमावली–2015 के प्राविधान के अनुसार टी0डी0एस0 कटौती का प्रमाण–पत्र, फार्म–16 एवं नियुक्ति पत्र तथा वेतन भुगतान के प्रमाण–पत्र को संज्ञान में लिया गया है।

(iv) **विकास पर व्ययभार**

संस्था की ओर से सुनवाई के समय यह कहा गया कि भविष्य में विकास हेतु शुल्क निर्धारण में 10 प्रतिशत की दर से आकंलन किया जाना कम है, चूँकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरन्तर विकास होने के कारण एवं नई तकनीक लागू होने के कारण प्रदेश में छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करने हेतु संस्थाओं पर व्ययभार आता है। संस्थाओं की स्थापना ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 / आर्कीटेक्चर कौसिंल ऑफ इण्डिया एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शिक्षण व्यवस्था की जाती है तथा संस्थाओं द्वारा भविष्य के विकास को पूर्णरूप से एन्टीसिपेट कर दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः समिति इस तथ्य से सहमत है कि आगामी योजनाओं के लिए एक निश्चित धनराशि अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। अतः विनियमावली–2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विकास मद में 10 प्रतिशत की दर के अनुसार शुल्क निर्धारण किया गया है।

(v) **मंहगाई पर व्ययभार**

विनियमावली–2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गत तीन वर्षो में औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक को मंहगाई के कारण भविष्य में व्ययभार में सम्भावित व्यय वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए आगामी तीन वर्षो के लिए आधार माना गया है। अतः प्रचलित वास्तविक सी0पी0आई0 (कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स) के आधार पर 7 प्रतिशत के दर से आगामी तीन वर्षो तक का औसत मूल्य निकालकर मंहगाई की मद को शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया है।

(vi) कुल व्ययभार प्रति छात्र

संस्थाओं द्वारा विभिन्न मदों में व्यय हो रही कुल धनराशि को ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित एवं पाठ्यक्रमवार स्वीकृत छात्रों की संख्या से विभाजित करके प्रतिछात्र व्यय की गणना की जायेगी। सस्था के प्रतिनिधियो द्वारा बताया गया कि व्ययभार की कुल धनराशि को अध्ययनरत् वास्तविक छात्र–छात्राओं की संख्या से विभाजित करके प्रति छात्र व्यय की गणना की जानी चाहिए न कि ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित स्वीकृत छात्र–छात्राओं की संख्या से की जाय। इसमें यह तथ्य विचारणीय है कि संस्था का शुल्क तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा, अतएव् वास्तविक छात्रों की संख्या पर ऑगणन की स्थिति में यदि आगामी वर्षो में प्रवेशित छात्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने पर संस्था में प्रोफिटियरिग होगी जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निहित भावनाओं/निर्णय के प्रतिकूल होगा। अतः विनियमावली–2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्थानों द्वारा विभिन्न मदों में व्यय हो रही कुल धनराशि को अखिल भारती तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत कुल छात्रों की संख्या से विभाजित करके प्रति छात्र व्यय की गणना की गयी है।

(vii) ब्याज पर व्ययभार

विनियमावली–2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्था द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैक से यदि अवसंरचना एवं अन्य फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स के लिए ऋण लिया गया है एवं उस पर ब्याज का भुगतान संस्था द्वारा किया गया है तो ब्याज की अधिकतम् 25 प्रतिशत धनराशि या रू0 3000/– डिग्री पाठ्यकम रू0 1000/– डिप्लोमा पाठ्यकम को प्रति स्वीकृत छात्र संख्या जो भी कम हो व्ययभार में सम्मिलित किया गया है। ऐसे ऋण पर ब्याज की धनराशि व्ययभार में सम्मिलित नहीं की जायेगी जिस ऋण का उपयोग छात्रावास एवं अन्य ऐसे किसी कार्य में किया गया है जिसके लिए छात्र/छात्राओं से अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है।

(viii) डायरेक्ट आवर्ती व्यय का व्ययभार

विनियमावली–2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पुस्तकालय में कय किये गये प्रियाडिकल्स एवं जनरल की धनराशि को आवर्ती व्यय मानते हुए इस मद में सम्मिलित किया गया है परन्तु संस्था द्वारा कय की गयी पुस्तकों की धनराशि को पूँजीगत व्यय माना गया है।

(ix) विद्युत पर व्ययभार

विनियमावली–2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्था द्वारा विद्युत व्यय पर होने वाला कुल व्यय इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया है कि विद्युत का उपयोग केवल छात्रहित में शैक्षिक भवन एवं प्रयोगशालाओं में उपकरणों पर किया जाये।

7. शुल्क निर्धारण हेतु समिति द्वारा संस्थाओं के वर्ष 2015–16 की प्रमाणित बैलेन्स सीट को आधार मानकर वर्ष 2015–2016 के लिए व्यय धनराशि का आंकलन किया गया। इस प्रकार से प्राप्त धनराशि पर वर्ष 2016–2017 के लिए 7 प्रतिशत सी0पी0आई0 (कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स) की बढोत्तरी रेट ऑफ इन्फलेशन को आधार मानकर शुल्क की गणना की गई। वर्ष 2017–18 के लिए सी0पी0आई0 (कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स) के आधार पर 7 प्रतिशत की बढोत्तरी करते हुए प्राप्त धनराशि में वर्ष 2018–2019 के लिए सी0पी0आई0 इन्डेक्स के आधार पर 7 प्रतिशत की बढोत्तरी की गई। इस प्रकार प्राप्त धनराशि पर वर्ष 2019–20 के लिए पुनः सी0पी0आई0 इन्डेक्स के आधार पर 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई। वर्ष 2017–2018, 2018–19 एवं 2019–20 में की गयी बढ़ोत्तरी कमशः 7 प्रतिशत, 7 प्रतिशत एवं पुनः 7 प्रतिशत का औसत मूल्य निकालकर तथा इस प्रकार से प्राप्त आंकलित धनराशि पर विकास मद में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए अन्तिम शुल्क निर्धारित किया गया।

8. उपरोक्त बिन्दुओं एवं छात्रावास पर हुए व्यय के अनुपात को संज्ञान में लेकर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कालेज, गाजियाबाद में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में निम्नवत् शुल्क निर्धारित किया जाता है:–

संस्था का नाम	पाठ्यकम का नाम	निर्धारित शुल्क
अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कालेज, गाजियाबाद	बी0टेक0 एम0टेक0 एम0सी0ए0	रू0 1,11,256.00 रू0 1,11,256.00 रू0 1,11,256.00

संस्था के शुल्क निर्धारण से सम्बंधित गणना पत्र पृष्ठ संख्या–01 से 06 तक संलग्न है।

उपरोक्त निर्धारित शुल्क शैक्षिक सत्र 2017–18 से आगामी दो वर्षो (कुल तीन वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क, विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। यह शिक्षण शुल्क सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में प्रवेशित छात्रों से लिया जाना होगा। पूर्व से प्रवेशित छात्र–छात्रओं से इनके प्रवेश के वर्ष में निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जाना प्रभावी रहेगा।

9. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब–साइट **www.afrcup.in** पर प्रदर्शित है तथा संस्था द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब–साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

10. उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा–4 के अन्तर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरुद्ध

अपील के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील प्राधिकरण का गटन आदेश संख्या–3393/सोलह–1–2009–5(डब्लू–48)/2003 दिनांक 14.10.2009 द्वारा किया जा चुका हैं।

(पवन कुमार गंगवार)
सदस्य
कुलसचिव
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक,
विश्वविद्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

(श्रीमती शीतल वर्मा)
सदस्य
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0 शासन।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अध्यक्ष
सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
शासन।

संख्या एवं दिनांक तदैव–
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक/प्राचार्य अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कालेज, गाजियाबाद।
2. कुल सचिव, ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(डा0 वी0एस0 सिंह)
सचिव

PAGE NO - 1

Sl.no	Year of establishment of Institution	Name of the Institution	City	Course	Cost calculated based on Financial Data submitted by Institution for 2015-16	7% addition in case for 2016-17	Cost for 2016-17 (col.6+7)	Cost after 7% Escalation for 2017-18 on col.8	Cost after 7% Escalation for 2018-19 on col.9	Cost after 7% Escalation for 2019-20 on col.10	Average cost = Sum(9+10+11)/3	Development Allowance@ 10% on col. No. 12	Approved Fees for 2017-18 (Rounded off)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1998	AJAY KUMAR GARG ENGINEERING COLLEGE-027	GHAZIABAD	B.TECH	82436.23	5770.54	88206.76	94381.23	100987.92	108057.08	101142.00	10114.00	111256.00
				MCA	82436.23	5770.54	88206.76	94381.23	100987.92	108057.08	101142.00	10114.00	111256.00
				M.TECH	82436.23	5770.54	88206.76	94381.23	100987.92	108057.08	101142.00	10114.00	111256.00

RAJNEESH GUPTA & CO. Chartered Accountants

AJAY KUMAR GARG ENGINEERING COLLEGE CODE - 027
(RUN BY INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT & ENGINEERING SOCIETY)
RECURRING EXPENDITURE IN CONSOLIDATED FORM FOR THE YEAR 2015-16

S.No.	Particulars	Expenses As shown by the Institute as per Audited Balance sheet 2015-16	Hostel & Other Disallowance	Net Allowable Expenses	Annexure No	Basis of apportionment	B.Tech	MCA	M.TECH
	Sanctioned Student Strength (No.)		4308				3600	480	228
									(In Rupees)
1)	Salary Expenses:								
	Teaching & Non Teaching	250881118.00	43841531.00	207039587.00		No. of Students	173013582.45	23068477.66	10957526.89
	Sub Total (1)	250881118.00	43841531.00	207039587.00			173013582.45	23068477.66	10957526.89
2)	Direct Recurring Expenses on Course:								
	Computer Software	526995	0.00	526995.00		No. of Students	440385.79	58718.11	27891.10
	Lab Consumables	5648065.00	0.00	5648065.00		No. of Students	4719831.48	629310.86	298922.66
	Purchases of Journals	2581954.00	0.00	2581954.00		No. of Students	2157621.73	287682.90	136649.38
	Sub Total (2)	8757014.00	0.00	8757014.00			7317839.00	975711.87	463463.14
3)	4. Common Operative Exp.College Admin.								
	Advertisement Expenses	4597825.00	0.00	4597825.00		No. of Students	3842193.59	512292.48	243338.93
	Faculty recruitment/Admission notice exp.	3567763.00	0.00	3567763.00		No. of Students	2981417.55	397522.34	188823.11
	Annual Maintenance of Building	28985465.00	4347819.75	24637645.25		No. of Students	20588561.49	2745141.53	1303942.23
	Annual Maintenance of Computers	2073131.00	0.00	2073131.00		No. of Students	1732421.45	230989.53	109720.03
	Maintenance of Furniture	1362718.00	204407.70	1158310.30		No. of Students	967947.33	129059.64	61303.33
	Annual Maintenance of Others Assets	5549386.00	832407.90	4716978.10		No. of Students	3941764.43	525568.59	249645.08
	Bank Charges	411337.00	0.00	411337.00		No. of Students	343735.65	45831.42	21769.92
	Cleaning Expenses	3810690.00	571603.50	3239086.50		No. of Students	2706757.52	360901.00	171427.98
	Conference & seminar exp.	299541.00	0.00	299541.00		No. of Students	250312.81	33375.04	15853.14
	Electricity Expenses	15526382.00	2328957.30	13197424.70		No. of Students	11028488.61	1470465.15	698470.95
	Insurance Expenses	413754.00	0.00	413754.00		No. of Students	345755.43	46100.72	21897.84
	Internet Expenses	2583844.00	0.00	2583844.00		No. of Students	2159201.11	287893.48	136749.40
	Legal & Professional Charges.	738523.00	0.00	738523.00		No. of Students	617150.14	82286.69	39086.18
	Maintenance/ Running Exp of Generator	3289231.00	493384.55	2795846.45		No. of Students	2336361.94	311514.92	147969.59
	Newspaper, Books & Periodicals	516411.00	0.00	516411.00		No. of Students	431541.23	57538.83	27330.94
	Office Expenses	5815329.00	0.00	5815329.00		No. of Students	4859606.41	647947.52	307775.07
	Postage & Stamps	267471.00	0.00	267471.00		No. of Students	223513.37	29801.78	14155.85
	Printing & Stationery Expenses	3765408.00	0.00	3765408.00		No. of Students	3146580.50	419544.07	199283.43

Book binding	29348.00	0.00	29348.00		No. of Students	24524.79	3269.97	1553.24
Processing Fees	150000.00	0.00	150000.00		No. of Students	125348.19	16713.09	7938.72
Security Charges	8262077.00	1239311.85	7022765.15		No. of Students	5868605.97	782480.80	371678.38
Staff Welfare Expenses	1197950.00	0.00	1197950.00		No. of Students	1001072.42	133476.32	63401.25
Student welfare	1242610.00	0.00	1242610.00		No. of Students	1038392.76	138452.37	65764.87
Subscription & Membership Fee	106287.00	0.00	106287.00		No. of Students	88819.22	11842.56	5625.22
Telephone Expenses	732440.00	0.00	732440.00		No. of Students	612066.85	81608.91	38764.23
Travelling Charges	1256166.00	0.00	1256166.00		No. of Students	1049720.89	139962.79	66482.32
Hostel Rent	2050480.00	2050480.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00	0.00
Cultural & function exp.	3818357.00	0.00	3818357.00		No. of Students	3190827.58	425443.68	202085.75
Bus Hire Charges	2750568.00	2750568.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00	0.00
Sports exp.	533770.00	0.00	533770.00		No. of Students	446047.35	59472.98	28249.67
Gardening	676244.00	101436.60	574807.40		No. of Students	480340.45	64045.39	30421.56
Maintenance/ Running of Vehicles	2147289.00	0.00	2147289.00		No. of Students	1794391.92	239252.26	113644.82
Conveyance Expenses	146104.00	0.00	146104.00		No. of Students	122092.48	16279.00	7732.52
Sub Total (4)	108673899.00	14920377.15	93753521.85			78345561.43	10446074.85	4961885.55
4) 5. Interest:								
Interest paid on finance	19457572.00	19075295.00	382277.00		No. of Students	319451.53	42593.54	20231.93
Sub Total (5)	19457572.00	19075295.00	382277.00			319451.53	42593.54	20231.93
5) 6. Depreciation on Assets:								
Building	24394312.00	3,659,146.80	20,735,165.20		As per SLM Method	17327436.10	2310324.81	1097404.29
Furniture	1436829.00	215,524.35	1,221,304.65			1020588.84	136078.51	64637.29
Computer	7591735.00	-	7,591,735.00			6344068.25	845875.77	401790.99
Books	2362198.00	-	2,362,198.00			1973981.62	263197.55	125018.84
Lab Equipments	8309181.00	-	8,309,181.00			6943605.29	925814.04	439761.67
Other Equipments/assets	9156988.00	-	9,156,988.00			7652079.11	1020277.21	484631.68
Sub Total (6)	53251243.00	3,874,671.15	49,376,571.85			41261759.21	5501567.89	2613244.76
GRAND TOTAL OF EXPENSES	441020846.00	81711874.30	359308971.70			300258193.62	40034425.81	19016352.27
Less: Direct Hostel Expneses as per Institute from aggregate expenditure		4173712.00						
Total Cost	441020846.00	85885586.30	355135259.70			296770412.01	39569388.27	18795459.43
No. of Student(Intake)						3600.00	480.00	228.00
Cost Per Student						82436.23	82436.23	82436.23

AJAY KUMAR GARG ENGINEERING COLLEGE CODE - 027

REASONS FOR DISALLOWANCE OF EXPENSES

DISALLOWANCE CHART

The Proposal for fee Fixation has been scrutinized and it was observed that the Institution has shown Expenditure excessively, therefore to arrive at reasonable cost on academic part for the sanctioned student for the year under consideration some adjustment / deductions have been made in the expenditure claimed as under

(In Rupees)

S.No.	Nature of the Expenditure	Amount Claimed by the Institute	% to be Disallowed	Amount of Disallowance	Amount Allowed by Us	Reasons for Disallowance
A	**Expenditure disallowed**					
1	Teaching & Non Teaching Salary	250881118.00	-	43841531.00	207039587.00	Some disallowances in expenses on Salary is being made due to not supported by proper documents & others
2	Advertisement Expenses	4597825.00		0.00	4597825.00	Advertisement Expenses are allowed maximum upto 1% of the Total Expenditure as per guidelines provided from Technical Education Department (UP Government)
3	Interest paid on finance	19457572.00	-	19075295.00	382277.00	Interest maximum upto Rs 3000 per student or 25% of the Expenditure which ever is less will be allowed as per guidelines provided from Technical education Department (UP Government)
4	Annual Maintenance of Building	28985465.00	0.15	4347819.75	24637645.25	Annual Maintenance of Building includes expenses related to Hostel Building and the Institution is realizing Hostel Fee separately in addition to Tution Fee apportioned on the basis of area of hostel
5	Annual Maintenance of furniture	1362718.00	0.15	204407.70	1158310.30	Annual Maintenance of furniture includes expenses related to Hostel Building and the Institution is realizing Hostel Fee separately in addition to Tution Fee apportioned on the basis of area of hostel
6	Annual Maintenance of other assets	5549386.00	0.15	832407.90	4716978.10	Annual Maintenance of other assets includes expenses related to Hostel Building and the Institution is realizing Hostel Fee separately in addition to Tution Fee apportioned on the basis of area of hostel
7	Cleaning Charges	3810690.00	0.15	571603.50	3239086.50	Cleaning Charges includes expenses related to Hostel and the Institution is realizing Hostel Fee separately in addition to Tution Fee Apportioned on the basis of hostel area
8	Electricity Charges	15526382.00	0.15	2328957.30	13197424.70	Electricity Expense includes expenses related to Hostel and the Institution is realizing Hostel Fee separately in addition to Tution Fee Apportioned on the basis of hostel area
9	Maintenance/Running Of Generator	3289231.00	0.15	493384.55	2795846.45	Running Of Generator includes expenses related to Hostel Building and the Institution is realizing Hostel Fee separately in addition to Tution Fee Apportioned on the basis of hostel area
11	Security Charges	8262077.00	0.15	1239311.85	7022765.15	Security Charges includes expenses related to Hostel and the Institution is realizing Hostel Fee separately in addition to Tution Fee Apportioned on the basis of hostel area
12	Bus Charges	2750568.00		2750568.00	0.00	Bus Charges disallowed 100% as seperately charged for this
13	Hostel Rent	2050480.00		2050480.00	0.00	Hostel expenses disallowed 100% as seperately charged from student for hostel expenses

RAJNEESH GUPTA & CO. Chartered Accountants

-1-

14	Hostel Expenses	4173712 00		4173712 00	0 00	Hostel expenses disallowed 100% as seperately charged from student for hostel expenses
15	Gardening Exp	676244 00	0 15	101436 60	574807 40	Gardening Expense includes expenses related to Hostel and the Institution is realizing Hostel Fee separately in addition to Tution Fee Apportioned on the basis of hostel area
16	Depreciation on furniture	1436829 00	0 15	215524 35	1221304 65	Depreciation related to furniture is being disallowed due to the reason that the Institution is realizing Hostel Fee separately in addition to Tution Fee Apportioned on the basis of hostel area
17	Depreciation on Building	24 394 312 00	0 15	3659146 80	20735165 20	Depreciation related to Hostel Building is being disallowed due to the reason that the Institution is realizing Hostel Fee separately in addition to Tution Fee Apportioned on the basis of hostel area
				85885586.30		

AJAY KUMAR GARG ENGINEERING COLLEGE
DEPRECIATION SCHEDULE FOR THE FINANCIAL YEAR 2015-16

ASSETS	GROSS BLOCK AS ON 1.04.15	ADDITION	VALUE OF ASSET FOR CALCULATION OF DEPRECIATION	USEFUL LIFE	RATE	DEPRECIATION FOR THE YEAR
LAND	55021985	47245228	102267213		0.00%	-
COLLEGE BUILDING	769536650	0	769536650	30 Years	3.17%	24394312
BUILDING UNDER CONSTRUCTION	0	23211674	23211674		0.00%	0
FURNITURE & FIXTURE	14305912	818608	15124520	10 Years	9.50%	1436829
COMPUTER & SOFTWARE	16289452	7681925	23971377	3 Years	31.67%	7591735
BOOKS	0	2362198	2362198	1 Years	100.00%	2362198
LAB EQUIPMENT	40166681	3565851	43732532	5 Years	19.00%	8309181
OTHER EQUIPMENTS	40000528	4328341	44328869	5 Years	19.00%	8422485
VEHICLE	1726307	2913639	4639946	6 Years	15.83%	734503
TOTAL	**937047515**	**92127464**	**1029174979**			**53251243**

Note Library Books purchased before F Y 2015-16, Computer & Software purchased before F Y 2013-14, Furniture & Fixture purchased before F Y 2006-07, Lab Equipment and Other Equipment purchased before F Y 2011-12 and Vechicle purchased before F Y 2010-11 has been ignored for calculating depreciation

6.4.3 FEE- DETAILS

AJAY KUMAR GARG ENGINEERING COLLEGE

27th Km Stone, Delhi-Hapur Bypass Road, Adhyatmik Nagar, Ghaziabad - 201 009
Phones : 8744052891 to 94, 7290034976, 7290034978
Email : info@akgec.ac.in • Website: www.akgec.ac.in

AKGEC

TO WHOM IT MAY EVER CONCERN

This is certified that Mr./Ms...S/o. D/o...has been alloted our College M/s **Ajay Kumar Garg Engineering College** in the academic year 2021-22 in MCA Ist Year.

The tantative fees structure for 2 year MCA. Course is as follows:

Academic Fees for the Academic Year 2021-22

	MCA	MCA (PROVISIONAL)
	I Year (2021-22)	II Year (2022-23)
Registration Fees	1500.00	1500.00
Tuition & Development Fees	111256.00	111256.00
Exam & Enrollment Fees*	-	-
Medical Charges	1500.00	1500.00
Book Bank Fees	2100.00	2100.00
Activity Fee (One Time)	5000.00	0.00
PDP Charges	3500.00	0.00
Caution Money (Refundable)	10000.00	0.00
Convocation Charges	0.00	1000.00
Total Fee	**134856.00**	**117356.00**

Hostel Charges for the Academic year 2021-22		
	Boys'	Girls'
	Triple Seater	Triple Seater
Rent & Mess Charges	100000	100000
Security (Refundable)	10000.00	10000
Total Fee	**110000.00**	**110000.00**

Note:

1) *The Following payment will be made by the student directly to the University as and when demanded:
   a) Examination Fee Rs. 7500/- and Digital Library Fee Rs. 700/-.
   b) The aforesaid fee are subject to change, if any, by the University.
2) The College is approved by AICTE and is affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Techinical University, Lucknow.
3) The fee structure is subject to change, if any, by the State / Fee Fixation Committee.
4) The amount deposited during counselling (Gen.,OBC Rs. 20000/- & SC/ST Rs.12000/-) should be deducted from the total fee.
5) Separate DD/PO should be made for academic and hostel fee.
6) Payments to be made by DD/PO in favour of "**Ajay Kumar Garg Engineering College**" payable at Ghaziabad or Delhi. No part or cash payment shall be accepted.

OR

Online transfer through NEFT/RTGS.

Bank Account details of College for online payment are as under:

Name of the Beneficiary	Ajay Kumar Garg Engineering College
Name of the Bank	Kotak Mahindra Bank Ltd., Navyug Market, Ghaziabad -201001 (U.P.)-INDIA
Bank Account No.	508010250461 (Saving Bank Account)
RTGS/NEFT/IFSC Code	KKBK0005295

7) Medical charges Include Medical Insurance on hospitalization upto Rs.50,000/-, Accidental Insurance upto Rs.1,00,000/- and free OPD & annual medical checkup at Dr. R.S.G. (Indo-German) Hospital.

Ajay Kumar Garg Engineering College

Authorised Signatory

Ajay Kumar Garg Engineering College Accounts Ghaziabad

Note : This Fee Structure is a demand letter from the college and valid for Bank Loan

AJAY KUMAR GARG ENGINEERING COLLEGE

AKGEC

27th Km Stone, Delhi-Hapur Bypass Road, Adhyatmik Nagar, Ghaziabad - 201 009
Phones : 8744052891 to 94, 7290034976, 7290034978
Email : info@akgec.ac.in • Website: www.akgec.ac.in

TO WHOM IT MAY EVER CONCERN

This is certified that Mr./Ms...S/o, D/o...has been alloted our College M/s **Ajay Kumar Garg Engineering College** in the academic year 2021-22 in B-Tech...Branch.

The tantative fees structure for 4 year B.Tech Course is as follows:

Academic Fees for the Academic Year 2021-22

	B-TECH	B-TECH (PROVISIONAL)		
	I Year (2021-22)	II Year (2022-23)	III Year (2023-24)	IV Year (2024-25)
Registration Fees	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
Tuition & Development Fees	111256.00	111256.00	111256.00	111256.00
Exam & Enrollment Fees*	-	-	-	-
Medical Charges	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
Book Bank Fees	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00
Activity Fee (One Time)	10000.00	0.00	0.00	0.00
PDP Charges	0.00	3500.00	0.00	0.00
Caution Money (Refundable)	15000.00	0.00	0.00	0.00
Convocation Charges	0.00	0.00	0.00	1000.00
Total	**141756.00**	**120256.00**	**116756.00**	**117756.00**

Hostel Charges for the Academic year 2021-22			
Particulars	**Boys'**		**Girls'**
	Double Seater	**Triple Seater**	**Triple Seater**
Rent & Mess Charges	110000.00	100000	100000
Security (Refundable)	10000.00	10000	10000.00
Total Fee	**120000.00**	**110000.00**	**110000.00**

Note:

1) * The Following payment will be made by the student directly to the University as and when demanded:
   a) Examination Fee Rs. 7500/- and Digital Library Fee Rs. 700/-.
   b) The aforesaid fee are subject to change. if any, by the University.
2) The College is approved by AICTE and is affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Techinical University, Lucknow.
3) The fee structure is subject to change, if any, by the State / Fee Fixation Committee.
4) The amount deposited during counselling (Gen.,OBC Rs. 20000/- & SC/ST Rs.12000/-) should be deducted from the total fee.
5) Separate DD PO should be made for academic and hostel fee.
6) Payments to be made by DD/PO in favour of "**Ajay Kumar Garg Engineering College**" payable at Ghaziabad or Delhi. No part or cash payment shall be accepted.

OR

Online transfer through NEFT/RTGS.

Bank Account details of College for online payment are as under:

Name of the Beneficiary	Ajay Kumar Garg Engineering College
Name of the Bank	Kotak Mahindra Bank Ltd., Navyug Market, Ghaziabad -201001 (U.P.)-INDIA
Bank Account No.	508010250461 (Saving Bank Account)
RTGS/NEFT/IFSC Code	KKBK0005295

7) Medical charges Include Medical Insurance on hospitalization upto Rs.50,000/-, Accidental Insurance upto Rs.1,00,000/- and free OPD & annual medical checkup at Dr. R.S.G. (Indo-German) Hospital.

Ajay Kumar Garg Engineering College

Authorised Signatory

Ajay Kumar Garg Engineering College Accounts Ghaziabad

Note : This Fee Structure is a demand letter from the college and valid for Bank Loan